संख्या-178/2019/3224/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक: 26 जुलाई 2019

विषय:- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र स्तर से सक्षम पोर्टल पर आनलाइन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी वीडियो क्लिप पर व्यय होने वाली धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1181/स0क0/ शिक्षा-अ/3/150/2019-20, दिनांक-11.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2019-20 में छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन के प्रचार-प्रसार हेतु तैयार 10 मिनट की वीडियों क्लिप के लिए धनराशि रू0 7,35,000/- छात्रवृत्ति योजानाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 में लेखाशीर्षक-2225-01-789-13 के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख से व्यय करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में प्राविधानित अंतरिम आय-व्ययक धनराशि रूपया-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2019-20 में छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को 10 मिनट की डेमो वीडियों क्लिप के लिए धनराशि **रू0-7.35 लाख (रू0-सात लाख पैतीस हजार मात्र)** व्यय करने की स्वीकृति/अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों और सेवाओं पर व्यय के लिये न किया जाय।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि सत्र 2019-20 में छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया को 10 मिनट की डेमो वीडियों क्लिप पर होने वाले व्यय पर ही खर्च किया जाय।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ.संख्या-178/2019/3224(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।